

म0क0

निगरानी - 2910/2018/पन्ना/भू.रा

अशीष शर्मा तनय रामनरेश शर्मा निवासी वजरंग नगर वार्ड नं 18 छतरपुर म.प्र.

.....आवेदक

श्री अशीष शर्मा तनय  
द्वारा खोज दिनांक 10/5/18  
प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक 7-6-18

विरुद्ध

जुगल किशोर कर्न्टक्शन प्रो0 श्री के0पी सिंह निवासी अजयगढ जिला पन्ना म.प्र.

श्री अशीष शर्मा तनय  
द्वारा खोज दिनांक 10/5/18  
प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक 7-6-18

.....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अतर्गत धारा 50 एवं सहपठित धारा 247 व32 के तहत म0प्र0 भू-राज्य सहिता 1959 विरुद्ध कलेक्टर खनिज शाखा पन्ना जिला पन्ना म.प्र. के कमाक 539/11/एक/3/6/2015 पन्ना दिनांक 25.3.2015 के विरुद्ध ।


माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :-

प्रकरण के प्राथमिक तथ्य --:

1. यहकि प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक को घोष विक्रय खदान बीरा नम्बर 1 खसरा नम्बर 1 रकवा 7.00हे. भूमि पर आदेश दिनांक 4.2.2015 से रेत खदान स्वीकृत किया है जिसमें घोष विक्रय रेत खदान बीरा नम्बर 1 से 500 मीटर की परिधि के भीतर करने का निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत हुई
2. यहकि अनावेदक को उक्त खदान से रेत खदान के आवंटन मे निम्न शर्तो प्रारूप एवं नियम 6 1 के तहत आदेश 30.12.2017 खनिज नीति 2015 एवं 2017 के प्रावधानो के अधीन निम्न शर्तो पर प्रदाय की गई कि

*(Signature)*



प्रमाण क्रमांक R/2910/18 पन्ना

2

6/7/18

अवेकक कर्मि: श्री सुनील जाधव  
अपण प्रकरण को चळाना नडी चाखे  
हे। अनुरोध करि करि रमा।

प्रमाण सकार धा

रु  
अर

रु  
6.7.18

अरररर